न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

<u>सत्र परीक्षण संख्या–99/2012</u>

राज्य बनाम बीटू उर्फ अभयप्रताप

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त बीटू उर्फ अभयप्रताप मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप के बिन्दु पर उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियोजन कथानक प्रस्तुत करते हुए उन सभी साक्ष्यों का वर्णन किया है जिसके माध्यम से वह अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप को साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्व धारा 4/25 आयुध अधिनियम के तहत् दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त व सम्यक् साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप विरचित करके सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

पत्रावली दिनॉक 04.01.2023 को अभियोजन साक्ष्य हेतु पेश हो।

(पूनम राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

<u>दिनॉक :17.12.2022</u>

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

सत्र परीक्षण संख्या–99/2012

राज्य बनाम बीटू उर्फ अभयप्रताप

आरोप

मैं, पूनम राजपूत, अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी आप बीटू उर्फ अभयप्रताप को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ :–

1. यह कि दिनांक 10.10.2012 को समय 2.50 एम.एम. वस्थान टी.टी.रोड नगला जीसुख के पास अंतर्गत थाना विछवॉ जिला मैनपुरी में थाना इलाका पुलिस द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया एवं आपकी जामा तलाशी से आपके पहने पेन्ट की दाहिनी फेंट से एक चाकू नाजायज बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नही था। इस प्रकार आपने भा0दं0सं0 की धारा 398 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः एतद्द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि आपके विरूद्ध उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(पूनम राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र) मैनपुरी।

दिनॉक :17.12..2022

उक्त आरोप अभियुक्त को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया और परीक्षण चाहा।

(पूनम राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द0प्र0क्षेत्र),मैनपुरी।

दिनॉक :17.12.2022